कमिश्नर वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश

उपस्थिति :- श्री सुनील कुमार ,कमिश्नर ,वाणिज्य कर,उ0प्र0
प्रार्थी :- सर्वश्री डाकेट केयर सिस्टम , सी-6 भीखमपुर कालोनी , पेपर मिल रोड,लखनऊ।
प्रार्थना पत्र सं0 :- 20 / 2008
प्रार्थी की ओर से :- श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव ,अधिवक्ता ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश 2007 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1- सर्वश्री डाकेट केयर सिस्टम ,सी-6 भीखमपुर कालोनी ,पेपर मिल रोड,लखनऊ के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित करअध्यादेश 2007 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 24-1-08 को प्रस्तुत किया गया जिसमें" **टोनर एवं कार्टेज पर** " पर करदेयता की जानकारी चाही गयी है।

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर मुख्यालय के पत्र संख्या- 664 दिनांक 25-1-08 से एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,वाणिज्य कर, लखनऊ जोन लखनऊ से आख्या मॉगी गई जो सुनवाई के समय तक प्राप्त नहीं हुयी है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु नियत तिथि 13-2-08 पर श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव ,अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुये । धारा-59 के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया और कहा कि टोनर तथा कार्टेज प्रिन्टर केअभिन्न अंग है जो कि कम्प्यूटर सिस्टम का भाग है अत: इस पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश 2007 की अनुसूची -2 के भाग-ख के क्रमांक -22 पर 4% की दर से करदेयता होनी चाहिए ।

4- मैनें विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया । टोनर तथा कार्टेज उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश 2007 के अर्न्तगत वर्गीकृत नहीं है अत: इस पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश 2007 की अनुसूची 5 के अन्तर्गत 12.5% की दर से करदेयता होगी ।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है

7- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर-निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय ।

दिनांक :: 13, फरवरी ,2008

ह0 13-2-08
(सुनील कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर ,
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com